चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). अज्ञात एपीके फाइल एवं क्रेडिट कार्ड से फर्जी शॉपिंग के नाम पर धोखाधड़ी के पीड़ित 23 व्यक्तियों के 06 लाख 69 हजार 834 रुपये कराये गये वापस

वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने व आमजनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध पीड़ितों को रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल साइबर सेल एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में साइबर सेल प्रभारी, निरीक्षक श्री विजय कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास करते हुये 23 साइबर अपराध पीड़ित व्यक्तियों के कुल 06 लाख 69 हजार 834 रुपये अथक परिश्रम कर उनके खातों में वापस कराये गये हैं।

उल्लेखनीय है साइबर अपराध में पीडित 23 व्यक्तियों के साथ अज्ञात एपीके फाइल एवं क्रेडिट कार्ड से फर्जी शॉपिंग के नाम पर धोखाधड़ी के नाम पर 06 लाख 69 हजार 834 रुपये की ठगी की गयी थी जिनके द्वारा साइबर सेल चित्रकूट में शिकायत की गयी साइबर सेल में नियुक्त साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक श्री विजय कुमार सिंह, आरक्षी सर्वेश कुमार, आरक्षी प्रशांत कुमार द्वारा अथक प्रयास करके कुल 23 पीडितों का 06 लाख 69 हजार 834/- रुपया बरामद कराया गया।

आमजनमानस को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने हेतु सूचित किया जाता है कि वर्तमान समय में साइबर अपराधियों द्वारा विभिन्न टेलीग्राम/व्हाट्सएप ग्रुपो के माध्यम से हानिकारक APK फाइल डाउनलोड कराने का प्रयास किया जा रहा है । दुर्भावनापूर्ण रचित APK के निम्न प्रकार हो सकते है- RTO चालान,M परिवहन,YONO SBI etc. ये फाइलें एक मोबाइल वायरस (मेलवेयर) जिसे आपके द्वारा इन्स्टॉल करने पर आपके मोबाइल का सारा डेटा (फोटो,कान्टेक्ट,मैसेज,ओटीपी व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी) चोरी हो सकता है। उसके बचाव के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दू दिये जा रहे है-

1.फोन पर कभी भी किसी प्रकार के लुभावने ऑफर प्राप्त होने पर आप कभी किसी को अपने बैंक, खाता, एटीएम न0, ओटीपी सम्बन्धी जानकारी शेयर न करें ।

2.किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर फोन पर पैसे प्राप्त करनें के लिये यूपीआई पिन न डालना । यूपीआई पिन हमेशा पैसे भेजने के लिये प्रयोग होता है न कि प्राप्त करनें के लिये ।

3.किसी भी अनजान लिंक/ वेबसाइट को ओपन करने पर आपकी पर्सनल जानकारी फ्राडर तक साझा हो जाती है, इससे बचें ।

4.ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से खरीददारी हेतु पूर्व भुगतान करते समय क्विक सपोर्ट/टीम व्यूवर/कस्टमर सपोर्ट आदि एप का इस्तेमाल करने से आपके हैण्डसेट की स्क्रीन शेयरिंग हो जाती है, उक्त एप्स के इस्टालेशन से बचें ।

5.अज्ञात कॉलर द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओ व कालोनी स्वीकृत किये जाने के नाम पर भी पैसों की मांग करने पर पैसे न भेजें एवं तत्काल नजदीकी थाने पर शिकायत करें) ।

6.साइबर एक्सटार्शन (न्यूड वीडियो क्लिप भेजकर/धमकी भरे हमले को रोकने के लिये पैसे की मांग करने पर पैसे न भेजें एवं तत्काल नजदीकी थाने पर शिकायत करें) ।

7.आपके किसी परिचित को एक्सीडेन्ट/बीमार दिखाकर ईलाज हेतु ऑन-लाइन पैसे की मांग करने पर पैसे न भेजें एवं तत्काल नजदीकी थाने पर शिकायत करें) ।

8.सोशल मीडिया पर सस्ते दामों पर सामान बेंचने के नाम पर ठगी(फिसिंग) करतें हैं सामान अधिकृत विक्रेता/दुकान से ही खरीदें किसी को एडवान्स पैसा न भेजें।

9.अज्ञात नम्बरों से हूबहू आपके परिचितों की आवाज में पैसे आदि की डिमाण्ड करने पर अपने उस परिचित से पुष्टि करने के उपरान्त ही पैसे भेंजे।

10.घर बैठे रोजगार (पेन्सिल कारोबार, वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइबर बढाये जाने का कार्य) पाने के नाम पर ठगी/पैसे की मांग करनें पर पैसे न भेंजें ।

नोट-किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर हेल्पलाइन नं0 1930 पर तुरंत क़ॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर कम्पलेंट रजिस्टर करें या अपनें थाना के साइबर हेल्प डेस्क / जनपदीय साइबर सेल को तत्काल सूचना दें।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष कान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में एसओजी टीम एवं थाना मानिकपुर की पुलिस टीम द्वारा चोरी की 03 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 03 चोर को चोरी के समस्त सामान सहित घटना में प्रयुक्त 01 अदद मो0सा0 के साथ गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.सुधाकान्त दुबे पुत्र सुभाष चन्द्र दुबे उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम लूक नं0 01 थाना अतरैला जनपद रीवा हाल पता रामबाग जवा रोड मध्यांचल बैंक के सामने किराये का मकान जनपद रीवा

2.विनय कुमार पुत्र हरिशंकर पटेल उम्र करीब 36 वर्ष ग्राम सपहा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट

3.सुनील कुमार पुत्र भगवानदीन उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम बरौनी तीर थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट

अपराधिक इतिहास ---

1.सुधाकान्त दुबे पुत्र सुभाष चन्द्र दुबे उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम लूक नं0 01 थाना अतरैला जनपद रीवा हाल पता रामबाग जवा रोड मध्यांचल बैंक के सामने किराये का मकान जनपद रीवा

1.मु0अ0स0 88/2026 धारा 331(4),305(5) बीएनएस थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट

2. मु0अ0स0 95/2026 धारा 331(4),305(5) बीएनएस थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट

3. मु0अ0स0 143/26 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस थाना पनवार जनपद रीवा मध्य प्रदेश

2.विनय कुमार पुत्र हरिशंकर पटेल उम्र करीब 36 वर्ष ग्राम सपहा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट

1.मु0अ0स0 88/2026 धारा 331(4),305(5) बीएनएस थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट

2. मु0अ0स0 95/2026 धारा 331(4),305(5) बीएनएस थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट

3. मु0अ0स0 143/26 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस थाना पनवार जनपद रीवा मध्य प्रदेश

3.सुनील कुमार पुत्र भगवानदीन उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम बरौनी तीर थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट

1.मु0अ0स0 88/2026 धारा 331(4),305(5) बीएनएस थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट

2. मु0अ0स0 95/2026 धारा 331(4),305(5) बीएनएस थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट

3. मु0अ0स0 143/26 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस थाना पनवार जनपद रीवा मध्य प्रदेश

बरामदगीः-

04 अदद सोलर पैनल

01 अदद ट्यूबलर बैटरी बड़ी

02 अदद छोटी बैटरी

02 अदद इन्वर्टर

02 अदद ट्यूबलर बैटरी माइक्रोटेक

01 अदद इन्वर्टर माइक्रोटेक
01 अदद स्टार्टर
01 अदद ग्राइडर मशीन(कटर)
01 अदद बैटरी
01 अदद पिलास
02 अदद नट बोल्ट खोलने का छोटा/बड़ा पाना
01 अदद पेचकस
01 अदद आरी लोहे की टूटा ब्लेड लगा हुआ
01 अदद एन्ड्राड मोबाइल वीवो
घटना में प्रयुक्त 01 अदद मो0सा0 हीरो सुपर स्प्लेण्डर रंग काला सफेद

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः-</u>

उच्च प्राथमिक विद्यालय केकरामार से करीब 100 मीटर आगे ऊंचाडीह की ओर, दिनांक 05.04.2026 समय 00.10 am बजे

<u>संक्षिप्त विवरणः-</u>

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.07.2026 को उ0नि0 हरी सिंह मय हमराह सुरक्षा व्यवस्था,संदिग्ध व्यक्ति/संदिग्ध वाहन की चेकिंग में मामूर थे कि रास्ते में एसओजी प्रभारी श्री एम0पी0 त्रिपाठी मय टीम मौके पर मिले। वार्ता करते हुए मानिकपुर,गुरौला,चुरेहकेशरूवा व ग्राम केकरामार होते हुए ऊंचाडीह की ओर जा रहे थे कि एक मो0सा0 आती हुई दिखाई दी, जिसको उच्च प्राथमिक विद्यालय केकरामार से करीब 100 मीटर आगे ऊंचाडीह की ओर रोका गया तो मो0सा0 चालक पुलिस वालों को देखकर सकपकाने लगा । उसके पीठ पर एक पिठ्ठू बैग ग्रे कलर का टंगा था । जिस पर SATYABAGS लिखा है। संदिग्ध प्रतीत होने पर नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम सुधाकान्त दुबे पुत्र सुभाष चन्द्र दुबे उम्र 29 वर्ष नि0 ग्राम लूक न0 1 थाना अतरैला जिला रीवा म0प्र0 हाल पता रामबाग जवा रोड मध्यांचल बैंक के सामने किराये का मकान जिला रीवा बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो पहने नीले रंग के लोअर के दाहिने जेब से 01 अदद एण्ड्राइड मोबाईल फोन वीवो कम्पनी, रंग आसमानी, प्लास्टिक का कवर लगा हुआ तथा बाएं जेब से 100-100 के दो नोट व 10 रूपये का एक नोट (कुल 210 रूपये)तथा उसकी पीठ में टंगे पिठ्ठू बैग की तलाशी ली गयी तो उसमे रखा 01 अदद ग्राइन्डर मशीन(कटर), 01 अदद ग्राइन्डर बैटरी,01 अदद पिलास , 01 अदद नट बोल्ट खोलने का बडा पाना, 01 अदद नट बोल्ट खोलने का छोटा पाना, एक अदद पेचकस ,एक अदद आरी लोहे की टूटा ब्लेड लगा हुआ बरामद हुआ । कडाई से पूंछने में बताया कि आज से करीब 20 दिवस पूर्व रात में करीब 100 मीटर पीछे सडक के किनारे बने ग्राम केकरामार के सरकारी स्कूल के ताले इसी ग्राइन्डर (कटर) से काटकर एक बडी ट्यूबलर बैटरी LIVGUARD की ,02 छोटी बैटरी EXIDE की ,01 इन्वर्टर LIVGUARD का ,01 इन्वर्टर माइक्रोटेक का तथा स्कूल की छत पर लगे 04 सोलर पैनल मैने चोरी कर स्कूल की बाउण्ड्री के पीछे रखकर इकठ्ठा किया। उसके बाद एक-एक सामान मैने अपनी इसी मो0सा0 से उसी रात में ही धीरे -धीरे ले जाकर स्कूल से करीब 200 मीटर ऊंचाडीह की ओर सडक पर बने रपटा की बडी सीमेन्टेट पाईप में छिपा दिया था। दिनांक 03.07.2026 को ग्राम वीरपुर थाना पनवार जिला रीवा म0प्र0 से 04 अदद टावर की काले रंग की बैटरी चोरी की थी उसे भी लाकर वहीं रखा हूँ। जिसके सम्बन्ध में थाना पनवार जिला रीवा मध्य प्रदेश में मु0अ0स0 143/26 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया है। तत्पश्चात उक्त व्यक्ति ने आगे-आगे चलकर स्कूल से करीब 200 मीटर ऊंचाडीह की ओर सडक पर बने रपटा की बडी सीमेन्टे पाईप में बाई ओर से रखे माल मशरुका को बरामद कराया। जिसको एक- एक कर टार्चो की रोशनी में देखा गया तो सोलर पैनल 04 नग सभी ENICON COMPANY POWER 150WT MODEL NO. ISEN 150 जिनके सीरियल

न0 अलग अलग क्रमशः ICON-1501850907135455, ICON- 1501850907135987 , ICON-1501850907135989, ICON- 1501850907135924 अंकित है। ट्यूबलर बैटरी बडी 01 नग LIVGUARD SOLAR 150 AH रंग काला लाल सीरियल न0 LS 15060PTT-12V 150AH , बैटरी छोटी 02 नग दोनो EXIDE COMPANY की POWER SAFE PLUS 12V 26AH सीरियल न0 4XN212611033192, सीरियल न0 4XN212611033137, इन्वर्टर 01 नग LIVGUARD SOLAR MODEL LSOG1150 सीरियल न0 खुरचा हुआ, इन्वर्टर 01 नग MICROTEK SOLAR PCU PWM 2550/24V सीरियल न0 MTKR8P2232014373 तथा ग्राम वीरपुर थाना पनवार जिला रीवा म0प्र0 की चोरी हुई 04 अदद काले रंग की टावर की बैटरी जिस पर क्रमशः सीरियल न0 219643071579 , 219641670402 , 219642914712, 219644166492 बरामद हुई। बाकी सारा माल उच्च प्रा0 वि0 केकरामार का है। जिसमें मु0अ0स0 88/26 धारा 331(4)/305(ई)बीएनएस से अवगत कराते हुए समय करीब 00.10 बजे दिनांक 05.07.2026 को हिरासत पुलिस लिया गया तथा माल मशरुका को कब्जा पुलिस लिया गया व मौके पर बरामद सामानो पर चिट बंदी की गयी तथा अभि0 के कब्जे से प्राप्त पिट्ठू बैग मे रखे 01 अदद ग्राइन्डर मशीन(कटर), 01 अदद ग्राइन्डर बैटरी,01 अदद पिलास, 01 अदद नट बोल्ट खोलने का बडा पाना, 01 अदद नट बोल्ट खोलने का छोटा पाना, एक अदद पेचकस ,एक अदद आरी लोहे की टूटा ब्लेड लगा हुआ। सामानो को उसी पिट्ठू बैग में रखकर मौके पर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा जामा तलाशी से प्राप्त एक अदद मोबाइल वीवो कम्पनी आसमानी रंग को एक सफेद कपडे में रखकर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किया गया। रात्रि का समय व जंगली क्षेत्र होने के कारण जनता का कोई व्यक्ति गवाही के लिये नही मिल सका। चूंकि थाना क्षेत्र में दिनांक 02.07.2026 को ग्राम ऊंचाडीह उच्च प्रा0वि0 से भी बैटरी, इन्वर्टर,स्टार्टर की चोरी हुई है। जिसका अभियोग 95/26 धारा 331(4)/305(ई)बीएनएस पंजीकृत है अतः उक्त अभियुक्त से इस स्कूल की चोरी के संबन्ध में कडाई से पूछताछ किया तो अभियुक्त सुधाकान्त दुबे उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 02.07.26 को रात्रि में मैने उच्च प्राथमिक विद्यालय ऊचांडीह के चैनल का ताला व दरवाजे की सिटकनी इसी ग्राइन्डर(कटर) की मदद से काटकर 02 ट्यूबलर बैटरी माइक्रोटेक की , 01 इन्वर्टर माइक्रोटेक का तथा 01 स्टार्टर भी मैने चोरी किया था। जिसको मैने पास में स्थित दीनदयाल इण्टर कालेज के अपने मित्र/सहयोगी चौकीदार/चपरासी विनय कुमार व सुनील कुमार की मदद से उच्च प्रा0वि0 के करीब 150 मीटर पीछे छिऊल की झाडियों में छिपाकर रख दिया था। आज मैं फिर स्कूल की चोरी तथा पूर्व में चोरी किये गये माल को बेचने के लिये ग्राहक की तलाश में जा रहा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया। यदि आप कहें तो वहाँ भी चलकर उस स्कूल का माल बरामद करा सकता हूँ। तत्पश्चात मौके पर बरामद माल मशरुका को वाहन पर लदवाकर मय हमराहियान सहित बाउम्मीद बरामदगी माल हम पुलिस वाले अभियुक्त सुधाकान्त दुबे उपरोक्त को साथ लेकर दीनदयाल इण्टर कालेज पहुंचे। अभियुक्त आगे-आगे चलकर कालेज परिसर गेट पर पहुंचकर अपने साथी चौकीदारो का नाम लेकर आवाज दिया जो गेट पर आये। जिन्हे देखकर अभियुक्त सुधाकान्त दुबे उपरोक्त ने बताया कि साहब यही दोनों मेरे साथी हैं जिसकी मदद से मैने स्कूल के पीछे स्थित झाडियों में स्कूल के चोरी के सामान को छिपाया है। इस पर मुझ उ0नि0 द्वारा दोनो चौकीदार/चपरासी का नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम विनय कुमार पुत्र हरिशंकर पटेल उम्र करीब 36 वर्ष ग्राम सपहा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट तथा दूसरे ने सुनील कुमार पुत्र भगवानदीन उम्र करीब 22 वर्ष नि0 ग्राम बरौनी तीर थाना बहिलपुरवा जिला चित्रकूट बताया। दोनो चौकीदारों की बारी-बारी से जामा तलाशी ली गयी तो अलावा पहने कपडों को अन्य कोई शय बरामद नही हुआ। पुनः उक्त दोनो चौकीदारों /चपरासी से उच्च प्रा0वि0 ऊंचाडीह में चोरी गये सामानों के बारे में पूछा गया तो बताये कि सुधाकान्त दुबे मेरे दोस्त हैं हम लोगों से बोलें थे कि इतना माल मैं एक साथ नही ले जा सकता जिसे छिपाने में मेरी मदद करिये। आप लोगों को भी माल बिकने पर बराबर का हिस्सा दूंगा जिस पर हम दोनो भी लालच में आ गये और दोस्ती व मित्रता होने के कारण इनकी मदद किये। यदि आप कहें तो चलकर आपको दे सकता हूँ। इस पर तीनो को आगे करके माल बरामदगी हेतु

कहा गया तो तीनो आगे-आगे चलकर उच्च प्र0वि0 के पीछे झाडियों से होते हुए करीब 150 मीटर अन्दर जाकर झाडियों में अपने -अपने द्वारा छिपाये गये चोरी के उपरोक्त सामानों को तीनो ने बारी- बारी से निकालकर बरामद कराया और बताया कि साहब यह सारा सामान सुधाकान्त दुबे ने उच्च प्रा0 वि0 ऊचांडीह से चोरी किया था जिसको हम दोनो ने इनकी मदद करके यहाँ छिपवाया था। बरामद माल को कब्जा पुलिस में लेकर टार्चो की रोशनी में देखा गया तो 02 अदद ट्यूबलर बैटरी माइक्रोटेक रंग सफेद नीला 140 एएच ,सीरिज न0 25जी OB5HEA100018781 तथा सीरिज न0 25GOB5HEA100018637, 01 अदद इन्वर्टर माइक्रोटेक 140AH MODEL न0 NEW2080 24V DG, 01 अदद स्टार्टर MRK MODEL 20C 1.5HP बरामद हुआ। जिन पर मौके पर ही चिट बंदी की गयी । चूकि अभियुक्त सुधाकान्त दुबे के कब्जे/निशादेही से थाना स्थानीय के मु0अ0स0 88/26 धारा 331(4)/305(ई)बीएनएस से संबन्धित माल मशरुका की बरामदगी हुई है अतः मुकदमा उपरोक्त में अभि0 सुधाकान्त के विरुद्ध धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा तीनो अभियुक्तगण सुधाकान्त दुबे, विनय कुमार व सुनील कुमार उपरोक्त की निशादेही व कब्जे से मु0अ0स0 95/26 धारा 331(4)/305(ई) बीएनएस के माल मशरुका की बरामदगी हुई है। जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त सुधाकान्त दुबे को जुर्म धारा 331(4)/305(ई)/317(2)बीएनएस में अभियुक्तगण 1. विनय कुमार पुत्र हरिशंकर पटेल नि0 ग्राम सपहा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट 2.सुनील कुमार पुत्र भगवानदीन नि0 ग्राम बरौनीतीर थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को जुर्म धारा 317(2)बीएनएस में समय करीब 02.20 बजे दिनांक 05.07.2026 को हिरासत पुलिस में लिया गया । सुधाकान्त दुबे की मोटर साइकिल हीरो सुपर स्प्लेण्डर रंग काला सफेद न0 MP17 MS 4484 चेचिस न0 MBLJAR165J9A12606 से संबन्धित कोई कागजात मागने पर प्रस्तुत नही किया जा सका। जिसके संबन्ध में 207 एमवी एक्ट की चलानी रिपोर्ट अलग से प्रेषित की गयी।

गिरफ्तार करने वाली स्वाट/सर्विलांस टीम का नाम-

1.श्री एम0 पी0 त्रिपाठी प्रभारी एसओजी

2..आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा

3.आरक्षी पवन राजपूत

4.आरक्षी रोशन सिंह

5.जयनारायण पटेरिया

गिरफ्तार करने वाली द्वितीय टीमः-

1.उ0नि0 श्री हरि सिंह थाना मानिकपुर

2.उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह

3.आरक्षी अजीचउद्दीन

4.आरक्षी सतीश मौर्य

5.आरक्षी शौर्य यादव

6.आरक्षी अनूप यादव

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकान्त राय व उनकी टीम द्वारा गैर इरादतन हत्या के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 31/05/2026 को वादी गोरेलाल पुत्र स्व0 रामनारायण निवासी गौरीमाफी मजरा दुबारी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना पहाड़ी पर सूचना दी गयी कि 1.शिवनारायण पुत्र सुकरू (मृतक का भतीजा) 2.धरम सिंह 3.आनन्द

कुमार पुत्रगण शिवनारायण 4.देवामनि पत्नी शिवनारायण 5.तुलसा देवी 6.गोमती देवी पुत्रीगण निवासीगण गौरीमाफी मजरा दुबारी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा भाई की शादी कराने के विवाद को लेकर वादी के पिता रामनारायण के साथ मारपीट करना बीच बचाव में आई वादी की मां लक्ष्मिनिया को भी लाठी डण्डो से मारना,जिससे वादी के पिता रामनारायण को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर देना। सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 118/2026 धारा- 191(2),105,115(2),352 बीएनएस बनाम 1.शिवनारायण पुत्र सुकरू (मृतक का भतीजा) 2.धरम सिंह 3.आनन्द कुमार पुत्रगण शिवनारायण 4.देवामनि पत्नी शिवनारायण 5.तुलसा देवी 6.गोमती देवी पुत्रीगण निवासीगण गौरीमाफी मजरा दुबारी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी को अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे।
आज दिनाँक 05.07.2026 को श्री निशिकान्त राय प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त धर्म सिंह पुत्र शिव नारायण उम्र करीब 22 वर्ष निवासी गौरीमाफी मजरा दुबारी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-</u>

1. श्री निशिकान्त राय प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी
2.आरक्षी बहोरन सिंह
3.रि0आरक्षी आकाश चौबे

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार राय व उनकी टीम द्वारा नाबालिक बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
संक्षिप्त विवरण-
उल्लेखनीय है कि थाना बरगढ़ निवासी एक वादी द्वारा थाना बरगढ़ में सूचना दी गई कि अंकित द्वारा उनकी पुत्री उम्र 18 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाना । इस सूचना पर थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 43/2026 धारा 87 बीएनएस बनाम अंकित पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन व उम्र निर्धारण होने के आधार पर मुकदमा उपर्युक्त में धारा 87 का लोप करते हुए 137(2) बीएनएस की बढ़ोतरी गयी तथा पीड़िता की बयान अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस के तहत 64 बीएनएस व 5/6 पॉक्सो एक्ट बढ़ोतरी की गयी। आज दिनांक 05.07.2026 को मुकदमा उपरोक्त में आरोपी अभियुक्त अंकित उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-</u>

1.उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार राय
2.आरक्षी जयनारायण यादव
3.आरक्षी अस्मित यदुवंशी
4.आरक्षी अजय कुमार

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकान्त राय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री उ0नि0 श्यामदेव सिंह मय हमराह का0 नवीन कुमार थाना पहाड़ी द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 70/19 मु0अ0सं-55/15 धारा 60(2) आवकारी

अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त महेश केवट पुत्र बुत्ता केवट उम्र करीब 35 वर्ष निवासी रइय्यापुरवा मजरा गढीघाट थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

जनपद बांदा में प्रस्तावित VVIP कार्यक्रम के दृष्टिगत #adgzoneprayagraj ज्योति नारायण द्वारा DIG चित्रकूट,SP बांदा व अन्य अधि0 के साथ सुरक्षा-व्यवस्था के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज कार्यक्रम स्थल एवं हेलीपैड का स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए गये।

जनपद चित्रकूट में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन,प्रयागराज द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में कार्यक्रम स्थल चित्रकूट इण्टर कॉलेज कर्वी,सर्किट हाउस,एयरपोर्ट व कलेक्ट्रेट का स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के दिनांक 08 जुलाई 2026 को जनपद चित्रकूट में भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत श्री ज्योति नारायण अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन,प्रयागराज द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में कार्यक्रम स्थल चित्रकूट इण्टर कॉलेज कर्वी,सर्किट हाउस,एयरपोर्ट व कलेक्ट्रेट का स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। अधिकारियों द्वारा सर्वप्रथम चित्रकूट इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया गया, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक विशाल जनसभा को संबोधित किया जाना प्रस्तावित है। इसके उपरांत, कलेक्ट्रेट सभागार मे मुख्यमंत्री जी द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए गए पुराने व नए कार्यों की मंडलीय समीक्षा के पश्चात जनपदीय विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। तत्पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री जी में रात्रि प्रवास करेंगे।
निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी महोदय सहित सम्बन्धित अधिकारीगण मौजूद रहें।